



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

25 श्रावण, 1944 (श०)

संख्या - 377 राँची, मंगलवार, 16 अगस्त, 2022 (ई०)

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची।

अधिसूचना

24 जनवरी, 2022

संचिका संख्या-5/प्रशि०(नियुक्ति-II)-237/2010 -60-- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हु ए झारखण्ड के राज्यपाल झारखण्ड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा/सम्बर्ग (अराजपत्रित पद पर नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तों) को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ :-

- (i) यह नियमावली "झारखण्ड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा/सम्बर्ग (अराजपत्रित पद पर नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली-2021" कहलाएगी ।
- (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।
- (iii) यह नियमावली 'झारखण्ड राजपत्र' में उसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी ।

2. **परिभाषाएँ :-** इन नियमों में जबतक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

- (i) "राज्यपाल से अभिप्रेत है, झारखण्ड के राज्यपाल ।
- (ii) "सरकार" से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार ।
- (iii) "समिति" से अभिप्रेत है, विनिर्दिष्ट सदस्यों से मिलकर सरकार द्वारा निर्धारित पदोन्नति समिति ।
- (iv) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची ।
- (v) "सेवा" से अभिप्रेत है, "झारखण्ड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा/सम्बर्ग (अराजपत्रित पद पर नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली-2021" ।
- (vi) "आयोग" से अभिप्रेत है, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग ।
- (vii) "प्रतियोगिता परीक्षा से अभिप्रेत है, भर्ती के लिए नियम-7 के अधीन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा ।

3. **सम्बर्गीय संरचना**

इस सम्बर्ग में निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), झारखण्ड, राँची के अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण अधिकारी (व्यवसाय/गणित/ड्राईंग)/मुख्य प्रशिक्षण अधिकारी एवं मोटर चालक अनुदेशक के स्वीकृत सभी पद एवं भविष्य में सृजितहोने वाले सभी पद सम्मिलित होंगे ।

क्र०	पदनाम एवं वेतनमान्	सेवा समूह	सीधी नियुक्ति/प्रोन्नति का प्रतिशत	सीधी नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता/प्रवेश योग्यता	प्रोन्नति हेतु कालावधि
1	2	3	4	5	6
1	प्रशिक्षण अधिकारी (व्यवसाय/गणित/ ड्राईंग) वेतनमान्- 9300-34800/- ग्रेड पे 4200/-	'ख'	सीधी नियुक्ति - 100%	राज्य सरकार/प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता/प्रवेश योग्यता।	मूल पद
2	मुख्य प्रशिक्षण अधिकारी वेतनमान्- 9300-34800/- ग्रेड पे 4200/-	'ख'	प्रोन्नति-100%	-	प्रशिक्षण अधिकारी के पद पर 5 वर्ष का संतोषप्रद कार्यानुभव।

3	सहायक अधीक्षक वेतनमान्- 9300-34800/- ग्रेड पे 4200/-	'ख'	सीधी नियुक्ति-50% प्रोन्नति - 50%	क) प्रवेशिकोत्तीर्ण। ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ इंजीनियरिंग कॉलेज से किसी भी विधा में डिग्री /डिप्लोमा उत्तीर्ण। ग) डिग्री एवं डिप्लोमा धारकों को संबंधित क्षेत्र में क्रमशः दो एवं तीन वर्ष का अनुभव।	मुख्य प्रशिक्षण अधिकारी के पद पर 5 वर्ष का अनुभव।
4	मोटर चालक अनुदेशक वेतनमान्- 5200-20200/- ग्रेड पे 1900/-	'ग'	सीधी नियुक्ति- 100% प्रोन्नति - 0%	क) प्रवेशिकोत्तीर्ण। ख) वैध हेवी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त।	

4. **विस्तार तथा प्रयुक्ति :-** झारखण्ड राज्य में राजकीय सेवा/सम्बर्ग के लिए गठित एवं प्रवृत्त सामान्य नियम में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये नियम सेवा/सम्बर्ग के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

5. **सेवा का गठन :-** सेवा/सम्बर्ग में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे अर्थात् :-

- (i) वे व्यक्ति जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के समय नियम 3 में विनिर्दिष्ट पद मूलरूप से या स्थानापन्न रूप से धारण कर रहे हों ।
- (ii) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किए गए हो, और
- (iii) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए जायेंगे ।

6. **वर्गीकरण, वेतनमान आदि :-** सेवा/सम्बर्ग में सम्मिलित पद उनका वर्गीकरण तथा उनके वेतनमान नियम 3 में विनिर्दिष्ट किए गए के अनुसार होगा। साथ ही इन पदों के लिए समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा यथा स्वीकृत वेतनमान् लागू होंगे ।

7. **चयन की प्रक्रिया :-** प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार विभिन्न पदों पर भिन्न-भिन्न प्रवेश योग्यता यथा आई०टी०आई०/डिप्लोमा/डिग्री इत्यादि निर्धारित किया गया है। फलस्वरूप इस सेवा/संवर्ग नियमावली हेतु नियुक्ति निम्नांकित चयन प्रक्रिया के आधार पर ही आयोग द्वारा परीक्षा आयोजित करेगा। अतः नियुक्ति हेतु परीक्षा आयोजन के क्रम में संबंधित सभी पदों को आयोग की विभिन्न परीक्षा संचालन नियमावलियों से विमुक्त किये जाता है। आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के उपरान्त उपलब्ध कराई गई अनुशंसा के आधार पर नियुक्ति की जायेगी। तदनुसार सीधी नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा प्रक्रिया एवं स्वरूप निम्नवत् होगी :-

(क) लिखित परीक्षा

लिखित परीक्षा अन्तर्गत (03) तीन पत्र होंगे। लिखित परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहु विकल्पीय उत्तर आधारित होंगे। परीक्षा का माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी भाषा में होगा। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 02(दो) घंटे की होगी। तीनों ही पत्रों के प्रत्येक प्रश्न 03 (तीन) अंक के होंगे। सही उत्तर के लिए तीन अंक प्रदान किये जायेंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 01 (एक) अंक की कटौती की जाएगी।

पत्र 1 - विषय : (भाषा एवं सामान्य ज्ञान)**भाषा ज्ञान**

(क) हिन्दी भाषा ज्ञान -25 प्रश्न

(ख) अंग्रेजी भाषा ज्ञान -25 प्रश्न

सामान्य ज्ञान

(क) झारखण्ड राज्य से संबंधित ज्ञान -30 प्रश्न

(ख) सामान्य विज्ञान -10 प्रश्न

(ग) सामान्य गणित -10 प्रश्न

(घ) मानसिक क्षमता जाँच -10 प्रश्न

(ङ) कम्प्यूटर का ज्ञान -10 प्रश्न

कूल -120 प्रश्न

नोट:- यह पत्र अर्हक (Qualifying) होगा एवं उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अर्हतांक 30 प्रतिशत निर्धारित रहेगा। न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल/अयोग्य माने जाएंगे। परीक्षा का पाठ्यक्रम आयोग द्वारा निर्धारित किया जायेगा ।

पत्र 2 -(चिन्हित क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा ज्ञान)

उर्दू/संथाली/बंगला/मुण्डारी(मुण्डा)/हो/खड़िया/कुँडुख(उराँव)/कुरमाली/खोरठा/नागपुरी/पंचपरगनिया/उड़िया में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेगे। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के एक सौ (100) बहु विकल्पीयउत्तर आधारित प्रश्न पूछे जायेंगे।

नोट:- यह पत्र अर्हक (Qualifying) होगा एवं उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अर्हतांक 30 प्रतिशत निर्धारित रहेगा। न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल/अयोग्य माने जाएंगे। संबंधित भाषा का पाठ्यक्रम वही होगा जो कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जायेगा।

पत्र 3 (तकनीकी ज्ञान)

इस पत्र में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या 120 (एक सौ बीस) होंगी एवं इसका पाठ्यक्रम किसी विषय विशेष के लिए वही होगा जो प्रशिक्षण महानिदेशालय, नई दिल्ली (DGT, New Delhi) के वेबसाईट https://dgt.gov.in/cts_details पर उपलब्ध है।

टिप्पणी- पत्र-3 तकनीकी ज्ञान की परीक्षा में निम्न न्यूनतम अर्हतांक होगा:-

- अनारक्षित-40 प्रतिशत
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Ews)-40 प्रतिशत
- पिछड़ा वर्ग (अनु-II)- 36.5 प्रतिशत
- अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनु-I)- 34 प्रतिशत
- अनुसूचित जाति/अनुसूचितजनजाति/ महिला- 32 प्रतिशत
- आदिम जनजाति समूह-30 प्रतिशत

नोट:- पत्र 3(तकनीकी ज्ञान) में प्राप्त अंक के आधार पर आयोग द्वारा व्यवसायवार मेधा सूची का निर्माण किया जायेगा।

(ख) लिखित परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण:-

- (i) प्रश्न पत्र 1 (भाषा एवं सामान्य ज्ञान) में 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रश्न पत्र 2 (चिन्हित क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा ज्ञान) में 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों (प्रश्न पत्र 1 एवं प्रश्न पत्र 2) में प्राप्त अंक मात्र अर्हक (Qualifying) होंगे। अभ्यर्थियों के प्रश्न पत्र 3 (तकनीकी ज्ञान) के प्राप्तांक के आधार पर आयोग द्वारा भिन्न-भिन्न व्यवसायों के प्राप्तांकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी ।
- (ii) मेधा सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान (बराबर) रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके नाम के अंग्रेजी वर्तनी (Spelling) के वर्णक्रम के अनुसार मेधा का निर्धारण किया जायेगा और इसके निर्धारण के लिये आवेदन में अंकित अंग्रेजी में लिखे गये नाम को आधार माना जायेगा ।
- (iii) आरक्षण एवं स्थानीयता के सम्बन्ध में राज्य सरकार से प्राप्त अद्यतन निर्देशों का पालन किया जायेगा।
- (iv) मेधा सूची गठित करने के पश्चात् यथा समय अपनी सुविधा के अनुसार आयोग के द्वारा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के सहयोग से विज्ञापित पदों पर नियुक्ति के लिये चयन हेतु निर्धारित पात्रता/अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की प्रारंभिक जांच करायी जायेगी। प्रमाण पत्रों की जाँच के क्रम में यदि किसी कोटि के उम्मीदवार के आवेदन पत्र में अंकित दावों का सत्यापन नहीं हो पाता है और उनकी उम्मीदवारी रद्द हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में आयोग द्वारा सम्बन्धित कोटि में रिक्त पदों की उपलब्धता के आलोक में मेधा सूची से क्रम के अनुसार उम्मीदवारों की प्रमाण-पत्रों की प्रारंभिक जाँच के लिए आमंत्रित कर सकेगा ।
- (v) प्रारंभिक जाँच उपरान्त अधियाचना के अनुरूप सफल अभ्यर्थियों की अनुशंसा एवं अनुशंसित अभ्यर्थियों का मूल आवेदन पत्र एवं स्व-अभिप्रमाणित/हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र आयोग द्वारा प्रशासी/अधियाची विभाग को भेजी जायेगी ।
- (vi) अनुशंसित अभ्यर्थियों के सभी प्रमाण पत्रों की जाँचोपरान्त संतुष्ट होने पर नियुक्ति प्राधिकार द्वारा नियुक्ति की कार्रवाई की जायेगी ।
- (vii) समूह 'ख' एवं 'ग' के पद राज्यस्तरीय पद हैं जिसके लिए राज्यस्तरीय मेधा सूची तैयार की जाएगी ।

8. "राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण अधिकारियों के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु चयन में आरक्षण रोस्टर का अनुपालन व्यवसायवार किया जाएगा। व्यवसाय से तात्पर्य होगा प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा विनिर्दिष्ट वैसे तकनीकी एवं गैर-तकनीकी व्यवसाय जिसमें वर्तमान में राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण दिया जा रहा हो अथवा वैसे व्यवसाय जिनमें भविष्य में राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण देना प्रस्तावित हो"।

9. इस नियमावली के अधीन यथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सरकार द्वारा स्वीकृत पदों के विरुद्ध नियमानुसार नियुक्ति/प्रोन्नति की जाएगी।

10. इन नियमों के उपबंधों के रहते हुए, सेवा/सम्बर्ग में किसी ऐसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, जिसको या जिनको भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरा जाना अपेक्षित हो, भरे जाने का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके से भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या नियुक्ति प्राधिकार द्वारा सरकार से परामर्श करके प्रत्येक अवसर पर अवधारित की जायेगी।

11. सेवा में भर्ती करते समय "झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 (यथा अद्यतन संशोधित) के प्रावधान तथा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले निदेश अनिवार्य रूप से लागू होंगे।

12. **सेवा में पदों पर नियुक्ति :-** i) इन नियमों के प्रारम्भ होने के पश्चात् सेवा/सम्बर्ग में समस्त नियुक्तियाँ, नियुक्ति प्राधिकार द्वारा की जायेगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 7 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीके में से किसी एक तरीके से चयन करने के पश्चात् ही की जायेगी अन्यथा नहीं।

13. **सीधी भर्ती की पात्रता की शर्त:-** परीक्षा में भाग लेने का पात्र होने के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी अर्थात्

(i) **आयु-** अध्यायना वर्ष की 1ली अगस्त को आयु की गणना की जाएगी तथा नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयुसीमा 21 (इक्कीस) वर्ष एवं अधिकतम आयुसीमा सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेश के आलोक में होगी।

(ii) **शैक्षणिक, तकनीकी एवं अन्य अर्हताएँ-** शैक्षणिक, तकनीकी एवं अन्य अर्हताएँ प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत निदेश के आलोक में होंगी।

नोट: उक्त निर्धारित योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को, जहाँ लागू हो, मैट्रिक/10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा।

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा।

परन्तु अनुकम्पा नियुक्ति एवं विभागीय सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा।

- (iii) **आवेदन शुल्क**- अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा निर्धारित की गई आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा।
14. **निरहताएँ**:- अभ्यर्थी द्वारा किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के लिए की गई संयाचना या कोई भी प्रयत्न उनकी अयोग्यता समझा जायेगा।
15. अभ्यर्थियों की पात्रता एवं अपात्रता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।
16. सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध रिक्त पदों के लिए राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित आरक्षण एवं रोस्टर लागू होंगे।
17. विज्ञापन प्रकाशन कर अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे।
18. पदोन्नति की शर्त नियम 3 में दर्शायी गयी शर्त के अनुरूप होगी।
19. **अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची**:-
- (i) यदि नियुक्ति प्राधिकार सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो नियुक्ति प्राधिकार प्रस्तावित परिवर्तन की जानकारी सरकार को देगा तथा सूची को अन्तिम रूप से सरकार के परामर्श से अनुमोदित कर सकेगा।
- (ii) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किए जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता जब तक कि नियुक्ति प्राधिकार नियुक्ति प्रक्रिया से सन्तुष्ट न हो लें।
- (iii) नियुक्ति के पूर्व नियुक्ति प्राधिकार द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के सभी मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराकर ही नियुक्ति पत्र निर्गत किये जायेंगे।
20. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति**:-
- (i) चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की सेवा के संवर्ग अन्तर्गत आने वाले पदों पर नियुक्तियाँ उसी क्रम से की जायेगी, जिस क्रम से ऐसे व्यक्तियों के नाम चयन सूची में हों।
- (ii) किसी ऐसे व्यक्तियों को, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित है, सेवा में नियुक्त किए जाने के लिए पुर्नविचार करना सामान्यतः तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक चयन सूची में उसका नाम सम्मिलित किए जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आई हो जो नियुक्ति प्राधिकार की राय में ऐसी हो जिसके कारण वह सेवा में नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त हो गया हो।

(iii) **परिवीक्षा की अवधि एवं सेवा संपुष्टि:**

परिवीक्षा की अवधि 02 (दो) वर्ष की होगी। सेवा संपुष्टि हेतु सभी चयनित कर्मियों को परीक्ष्यमान् अवधि कुशलता पूर्वक पूर्ण करना, कार्मिक, प्रशासनिक तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा आयोजित अराजपत्रित हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा, राजस्व पर्षद, झारखण्ड द्वारा अराजपत्रित कर्मचारियों हेतु आयोजित जनजातीय भाषा परीक्षा एवं झारखण्ड सचिवालय सेवा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों के लिए आयोजित किये जाने वाले कम्प्यूटर दक्षता (व्यावहारिक एवं सैद्धांतिक) परीक्षा के समान पाठ्यक्रम वाले कम्प्यूटर दक्षता (व्यावहारिक एवं सैद्धांतिक) परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

(iv) **वरीयता**

एतद् विषयक कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के आलोक में निर्धारित होगी :

- a) नियुक्ति प्राधिकार द्वारा तैयार संयुक्त मेधा सूची के आधार पर वरीयता निर्धारित होगी।
- b) इस संवर्ग में पूर्व से कार्यरत प्रशिक्षण अधिकारियों (तत्कालीन अनुदेशकों) की आपसी वरीयता आयोग द्वारा अनुशंसित मेधा सूची के आधार पर संधारित होगी। जहाँ आयोग की मेधा सूची उपलब्ध नहीं हो वहाँ प्रशिक्षण अधिकारियों की आपसी वरीयता, योगदान की तिथि के क्रमानुसार रहेगी या एक ही योगदान की तिथि हाने पर उनके जन्म तिथि या एक ही जन्म तिथि रहने पर नामों के अंग्रेजी वर्णमाला के प्रारम्भिक अक्षर/अक्षरों के आधार पर निर्धारित होगी ।
- c) चयन आयोग की मेधा सूची के आधार पर एवं अन्य माध्यम से, यथा अनुकंपा के आधार पर, एक ही वर्ष में नियुक्त कर्मियों में चयन आयोग की अनुशंसा के आधार पर नियुक्त कर्मी वरीय होंगे।

21. **पदोन्नति :-**

- (i) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति सरकार के द्वारा निर्धारित विभागीय पदोन्नति समिति करेगी। यह पदोन्नति सरकार द्वारा निर्धारित विभागीय समिति द्वारा की जायेगी।
- (ii) आरक्षित पदों पर पदोन्नति करने के लिए प्रक्रिया सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार होगी।
- (iii) चयन समिति से अनुशंसित अभ्यर्थियों की पदोन्नति पर सरकार का अनुमोदन अनिवार्य होगा।

22. पदोन्नति के लिए पात्रता सम्बन्धी शर्तें :-

समिति उन समस्त कर्मियों के मामले पर विचार करेगी, जिन्होंने पद पर योगदान की तिथि, को कम से कम उतने वर्षों की सेवा, पूरी कर ली हो जो नियम 3 में दर्शाया गया है।

23. पदोन्नति के लिए कर्मियों की सूची तैयार किया जाना :-

- (i) समिति ऐसे कर्मियों की सूची तैयार करेगी जो नियम 18 में विहित शर्तों को पूरा करते हों।
- (ii) सूची में सम्मिलित किए गए कर्मियों के नाम, ऐसी प्रत्येक चयन सूची को तैयार करते समय यथा विनिर्दिष्ट सेवा या पदों में वरिष्ठता के क्रम में रखे जायेंगे।

24. पदोन्नति चयन सूची :-

- (i) नियुक्ति प्राधिकार पदोन्नति हेतु निर्धारित अहर्ता के संबंध में प्राप्त अभिलेख के आलोक में सूची तैयार करेंगे।
- (ii) यदि नियुक्ति प्राधिकार सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो नियुक्ति प्राधिकार प्रस्तावित परिवर्तन की जानकारी सरकार को देगा तथा सूची को अन्तिम रूप से सरकार के परामर्श से अनुमोदित कर सकेगा।
- (iii) चयन सूची सामान्यतः तब तक प्रवृत्तरहेगी जब तक कि उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण नहीं कर लिया जाता।

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी कर्मों की ओर से आचरण या कर्तव्यों का पालन में गंभीर चूक होने की दशा में, चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन नियुक्ति प्राधिकार के अनुरोध पर किया जा सकेगा, यदि वह उचित समझे तो ऐसे कर्मों का नाम चयन सूची से हटाया जा सकेगा।

25. प्रकीर्ण

- (i) अन्य ऐसे मामले जिनके संबंध में उपर के खण्डों में कोई उपबंध नहीं किया गया है, उनमें झारखण्ड सेवा संहिता अथवा राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू अन्य वैधानिक प्रावधान लागू होंगे। कर्मचारियों को विहित नियमों के अधीन यह सुविधा देने की शक्ति सम्बर्ग के नियंत्री पदाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को होगी।
- (ii) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस नियमावली को विखंडित कर सकेगी या इसमें संशोधन कर सकेगी या नियमावली के नियमों को स्पष्ट कर सकेगी या उसे लागू करने में उत्पन्न त्रुटियों को दूर कर सकेगी।
- (iii) राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा कोई स्पष्टीकरण या कार्यपालक आदेश इस नियमावली का अंग माना जायेगा।

26. निरसन एवं व्यावृत्ति

इस नियमावली के लागू होने की तिथि से इस सम्बर्ग से संबंधित पूर्व की नियमावली स्वतः समाप्त समझी जायेगी। ऐसे निरसन के होते हुए भी पूर्व की नियमावली के अधीन शक्तियों के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जाएगी, मानों यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

हा०/-

सरकार के सचिव ।
